संबंधित कार्यालय मकान उपलब्ध नहीं करवाते क्योंकि सम्पदा निदेशालय का एक नियम इसमें आड़े आता है;

(ख) यदि हां, तो इस बलात हस्तक्षेपी नियम को बनाये रखने के क्या कारण है ; और

(ग) इस नियम को निरस्त करने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) और (ख) मंत्रियों के निजी कोटे से मकानों के आवंटन के लिए कोई दोहरी नीति नहीं है। मंत्रियों के निजी स्टाफ में न रहने पर भी ऐसे कर्मचारी वास को रखने के पात्र है । तथापि ऐसा कोई कर्मचारी अपात्र संगठन में स्थानान्तरित होने पर साधारण पूल से आवंटित वास को रखने के लिए पात्र नहीं है। विभागीय पूल में बिना बारी के आधार पर वैकल्पिक आवास की छूट केवल उन अधिकारियों को उपलब्ध है जिन्हें अपनी बारी पर सरकारी आवास आवंटित है। निर्धारित वासों के आवंटी अथवा ऐसे कर्मचारी, जिन्हें तदर्थ आधार पर वास आवंटित है (मंत्रियों के निजी स्टाफ सहित) ऐसे मामले जिनमें उनके कब्जे वाले मकानों को खाली करना अपेक्षित है, वैकल्पिक वास की इस छूट के लिए पात्र नहीं है।

प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे आवंटी मंत्रियों के निजी कोटे से आवंटन तथा उसके पश्चात् अपने विभागीय पूल से बिना बारी के आवंटन के रूप में साधारण पूल वास को और अधिक समय तक रखने के पात्र न रहने पर दोहरी छूट का लाभ न उठाएं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Allotment of post attach residences

3448. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that post attach residences are made available by the Directorate of Estates;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Directorate of Estate withdraw residential accommodation allotted on post attach basis; and

(d) if so, the details thereof for the last two years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) There is no separate provision in the Allotment rules for earmarking residence for a particular post. However, such requests received from the concerned Ministry/ Department are considered on merits.

(b) Residence have been earmarked for:—

(i) Director, IB
(ii) Secretary (RAW)
(iii) Foreign Secretary
(iv) Chief of Protocol
(v) Comptroller and Auditor General
(vi) Director, CBI.

Further, 68 bunglows have been earmarked for allotment to the Union Council of Ministers and Leaders of Opposition in the Lok Sabha and the Rajya Sabha through a Government Resolution dated 30-5-90.

(c) Such residence are required to be vacated immediately on change of incumbancy. However, retention is allowed to the outgoing incumbant for a period of one month if such accommodation can be spared.

(d) Does not arise.